

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या: 173/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/289)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. इकबाल सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।		1. गुरदेव कौर पुत्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।
2. संदीप सिंह पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।		2. जसवन्त सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।
3. हरगोविन्द सिंह पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।		3. तेजा सिंह पुत्र सजन सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।
4. अमृतपाल सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।		4. प्रभजीत कौर पुत्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।
5. कुलदीप सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।		5. बूटा सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।
		6. बलराज कौर पुत्री जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।
		7. मलकीत सिंह पुत्र आत्मा सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।
		8. वीरपाल कौर पुत्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।
		9. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

तारीख रजू 04.09.2024

उपस्थित: 1. श्री मनीष कुमार जागिंड, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण

—निर्णय—

दिनांक: 26.05.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 4 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 36/36 के मुरब्बा नम्बर 42, 54/13 की कुल 1.518 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 38/38 के मुरब्बा नम्बर 41, 42, 54/11, 54/14 की कुल 11.001 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व अभिलेख में वादीगण अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त दर्ज है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के साथ पारस्परिक सहमति से वाहमी बंटवारा कर रखा है। वाहमी बंटवारानामा के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने-अपने किलाजात पर लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा में आये किलाजात पर काबिज अवश्य है। लेकिन उक्त भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण एवं वादीगण के कब्जा व काश्त की भूमि दूसरे खाता में दर्ज होने के कारण, वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वादी को अपने हिस्सा की कृषि भूमि हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झुजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज जोत विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को किलावाईज अलग से अपने नाम घोषित करवाने चाहते हैं तथा वादीगण के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से वादीगण अपने नाम कायम करवाना चाहते हैं। वादी ने आज से करीब 10 रोज पूर्व समस्त प्रतिवादीगण को सम्पर्क कर इस संबंध में पुनः विचार विमर्श किया तो उनके द्वारा पूर्व की तरह इस बार भी स्पष्ट इंकार कर दिया और कहा कि यदि आपको कोई अनुतोष या राहत चाहते हो तो संबंधित न्यायालय में कार्यवाही कर, अपना हक व हिस्सा प्राप्त कर सकते हो। यही वाद कारण है। प्रतिवादीगण की असहमति के कारण, माननीय न्यायालय में वाद पत्र संस्थित करने के अतिरिक्त अन्य विकल्प वादीगण के पास शेष नहीं रहा। इस कारण वाद पत्र पेश किया जा रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

- एफ ए, की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 36/36 के मुरब्बा नम्बर 42, 54/13 की कुल 1.518 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 38/38 के मुरब्बा नम्बर 41, 42, 54/11, 54/14 की कुल 11.001 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को घरू बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का खाता व लगान अलग से वादीगण के नाम कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद विन्दू कायम नहीं किए गए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। वादीगण अपनी आराजी का वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 4 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 36/36 के मुरब्बा नम्बर 42, 54/13 की कुल 1.518 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 38/38 के मुरब्बा नम्बर 41, 42, 54/11, 54/14 की कुल 11.001 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण इकबाल सिंह, संदीप सिंह, हरगोविन्द सिंह, अमृतपाल सिंह, कुलदीप सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।
4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

:-आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम 4 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 36/36 के मुरब्बा नम्बर 42, 54/13 की कुल 1.518 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 38/38 के मुरब्बा नम्बर 41, 42, 54/11, 54/14 की कुल 11.001 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	इकबाल सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। (0.256 हैक्टेयर)	4 एफ ए	42	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	
	संदीप सिंह पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। (2.225 हैक्टेयर)			2	0.253 हैक्टेयर	नहरी	
				3	0.253 हैक्टेयर	नहरी	
				8, 9	0.506 हैक्टेयर	नहरी	
				10	0.228 हैक्टेयर	नहरी	
				11/1	0.101 हैक्टेयर	नहरी	
				11/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	
				12, 13	0.506 हैक्टेयर	नहरी	
				14	0.190 हैक्टेयर	नहरी	
				15	0.177 हैक्टेयर	नहरी	
				16	0.228 हैक्टेयर	नहरी	

इकबाल सिंह अग्नि बनान गुरदेव कीर् आदि
उपस्थित अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

	श्रीकरणपुर। (2.225 हैक्टेयर)			17, 18, 19 20 21 22, 23 24 00 00	0.759 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.065 हैक्टेयर 0.025 हैक्टेयर 0.101 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी गै.मु.खा. गै.मु.खा.	
2	अमृतपाल सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। (0.278 हैक्टेयर)	4 एफ ए	42	6 15	0.228 हैक्टेयर 0.050 हैक्टेयर	नहरी नहरी	
3	कुलदीप सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। (0.158 हैक्टेयर)	4 एफ ए	42	7 14	0.095 हैक्टेयर 0.063 हैक्टेयर	नहरी नहरी	

शेष खाते एवं रहन बदस्तूर रहेंगे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। सहमति बंटवारानामा निर्णय का एक भाग माना जावेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}

सहायक कलेक्टर एवं पंचायत समिति अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इजलास पेश किया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}

सहायक कलेक्टर एवं पंचायत समिति अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)



अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

इकबाल सिंह आदि बनाम गुरदेव कौर आदि

घारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नम्बर 173/2025

निर्णय दिनांक :-26.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजु के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 4 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, की जमावंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 36/36 के मुरब्बा नम्बर 42, 54/13 की कुल 1.518 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 38/38 के मुरब्बा नम्बर 41, 42, 54/11, 54/14 की कुल 11.001 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	कित्ता न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	इकबाल सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। (0.256 हैक्टेयर) संदीप सिंह पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। (2.225 हैक्टेयर) हरगोविन्द सिंह पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। (2.225 हैक्टेयर)	4 एफ ए	42	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				2	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
				3	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
				8, 9	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
				10	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				11/1	0.101 हैक्टेयर	नहरी	0.90
				11/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				12, 13	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
				14	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.69
				15	0.177 हैक्टेयर	नहरी	1.57
				16	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				17, 18, 19	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
				20	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				21	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
22, 23	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50				
24	0.065 हैक्टेयर	नहरी	0.58				
			54/13	00	0.025 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			54/14	00	0.101 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
2	अमृतपाल सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। (0.278 हैक्टेयर)	4 एफ ए	42	6	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				15	0.050 हैक्टेयर	नहरी	0.44
3	कुलदीप सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। (0.158 हैक्टेयर)	4 एफ ए	42	7	0.095 हैक्टेयर	नहरी	0.84
				14	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56

शेष खाते एवं रहन बदस्तूर रहेंगे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावेगा। आज दिनांक 27.05.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



{श्योराम (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

